



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
अधिकार से प्रकीर्णित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 388] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 1990/भाद्र 19, 1912

No. 388] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 1990/BHADRA 19, 1912

इस भाग से गिनत पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1990

सा. का. नि. 769(अ)—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956  
का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह  
निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए कम्पनी (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

2431G1/90

(1)

में विनिर्देशों का प्रकटन (नियम), 1988 के साथ पठित उमकी धारा 217 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के उपबंध हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलूर को, जो एक सरकारी कम्पनी है, लागू नहीं होंगे।

इस अधिसूचना की प्रति इस धारा की उपधारा (2) की प्रवृत्तानुसार वेदों के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप के रूप में रख दी गई है।

[सं. सं. 14/46/85-सा.एन. V]

वेद प्रधान गुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1990

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 217 of the said Act read with the Companies (Disclosure of Particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988 framed thereunder, shall not apply to Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, which is a Government company

A copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of that section.

[File No. 14/46/85-CL.V]

V. P. GUPTA, Jt. Secy.